न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 144 / 2022

वादपत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

रविन्द्र सिंह बराड़ पुत्र जसदेव सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम्

1. जसदेव सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र जसदेव सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. गुरविन्द्र कौर पुत्री जसदेव सिंह पत्नी अर्शदीप सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

घोषणा हेतु वाद

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री संजय धारणिया–वकील वादी
2. श्री योगेन्द्र मूण्ड –वकील प्रति.सं. 1ता3

निर्णय

दिनांक :– 07-08-2024

वादी रविन्द्र सिंह ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 22.03.2022 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। चक नं. 6 एन.के.आर. के खाता सं. 55/6 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1.518 है. व इसी चक के खाता सं. 56/41 में 3.732 है. कृषि भूमि व प्रतिवादी सं. 2 के नाम से इसी चक के खाता सं. 24/9 में 2.024 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की साझा कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ... घरू तौर पर उक्त कृषि भूमि का विभाजन कर लिया है। घरू ... चक नं. 6 एन.के.आर. खाता सं. 55/6 में प.नं. 138/153 में मु.नं. ... कि.नं. 16/1 ... है 16/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, कि.नं. 17,18/0.253 है.प्र., प.नं. 139/151 मु.नं. 3... 16/0.253 है., प.नं. 139/153 मु.नं. 39 कि.नं. 20,21/0.253 है.प्र. कुल 1.518 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई है। जिसे वादी अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakes...
Meena
Date: 2024.09.07 12:32:5...
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादी को चक नं. 6 एन.केआर. के खाता सं. 55/6 में 1.518 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व प्रतिवादी सं. 1 का नाम उक्त खाता से कलमजन करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी सं. 3 ने अपने हक वा हिस्सा का परित्याग घरू विभाजन के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के पक्ष में कर दिया है, अब प्रतिवादी सं. 3 को उक्त कृषि भूमि में कोई हक–हिस्सा शेष नही रहा है। वादी मौका पर वादपत्र की चरण सं. 3 के अनुसार काबिज है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में घोषणा न होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है व रकमराज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का वादी को दावा की चरण सं. 3 व 4 के अनुसार कृषि भूमि की घोषणा होना मान लो तो प्रतिवादीगण आजकल एवंआजकल करते रहे अन्त में कल ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 25.03.2022 को राजीनामा पेश हुआ जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। जमाबन्दी दस्तावेज चक नं. 6 एन.के.आर. खाता सं. 55/6 जं.सं. 2071–74 EX-1 प्रदर्श हुआ। साक्ष्य वादी में वादी रविन्द्र सिंह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि चक नं. 6 एन.के.आर. खाता सं. 55/6 जं.सं. 2071–74 जमाबन्दी में वादी के पिता के नाम अंकित है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का आपस में कोई विरोध नही है। वादपत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वादी के अभिभाषक ने राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया, जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया। वादपत्र में वर्णित आराजी विरासतन कृषि भूमि है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र [illegible] विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। [illegible] वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है जिस पर वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। [illegible] है। राजीनामा पत्र मुताबिक राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.09.07 12:32:57 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 जसदेव सिंह के नाम से दर्ज तहसील संगरिया चक नं. 6 एन.के.आर. खाता सं. 55/6 प.नं. 138/153 मु.नं. 40 कि.नं. 16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, कि.नं. 17,18/0.253 है.प्र., प.नं. 139/151 मु.नं. 30 कि.नं. 16/0.253 है., प.नं. 139/153 मु.नं. 39 कि.नं. 20,21/0.253 है.प्र. कुल 1.518 है. कृषि भूमि का वादी रविन्द्र सिंह बराड़ को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर प्रतिवादी सं. 1 जसदेव सिंह का नाम उक्त खाता से खारिज किया जाता है।

नोट :– यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:32:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अं.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 144/2022

रविन्द्र सिंह बराड़ पुत्र जसदेव सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम्

1. जसदेव सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र जसदेव सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. गुरविन्द्र कौर पुत्री जसदेव सिंह पत्नी अर्शदीप सिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

<u>घोषणा हेतु वाद</u>

दिनांक :– 07-08-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री संजय धारणिया वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री योगेन्द्र मूण्ड वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 जसदेव सिंह के नाम से दर्ज तहसील संगरिया चक नं. 6 एन.के.आर. खाता सं. 55/6 प.नं. 138/153 मु.नं. 40 कि.नं. 16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, कि.नं. 17,18/0.253 है.प्र., प.नं. 139/151 मु.नं. 30 कि.नं. 16/0.253 है., प.नं. 139/153 मु.नं. 39 कि.नं. 20,21/0.253 है.प्र. कुल 1.518 है. कृषि भूमि का वादी रविन्द्र सिंह बराड़ को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर प्रतिवादी सं. 1 जसदेव सिंह का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X... [illegible] वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...को अदा [illegible] पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

बसबब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07-08-2024 को जारी [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:32:57
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया